

डिक्री मुकदमा इवटदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्दा दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी:- सुनीता मीना आर.ए.एस
उन्वान

7

1. रामखिलाडी पुत्र सांवल मीना निवासी माधोपुरा तहसील टोडाभीम।

(वादी)

बनाम

1. चेताराम पुत्र मूला
2. विश्राम पुत्र चेताराम
3. बनवारी पुत्र चेताराम
4. बिजेन्द्र पुत्र चेताराम
5. सहीराम पुत्र घनफूल
6. रामचरण पुत्र धनफूल
7. मुकेश पुत्र सहीराम
8. लल्लू पुत्र सहीराम
9. पप्पू पुत्र सहीराम
10. श्रीमन पुत्र रामचरण
11. मुकेशी पत्नि बनवारी
12. तहसीलदार टोडाभीम

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0:- 114 / 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रूबई श्री सैयद शोहरत अली एडवोकेट हमारे मिनजानिब श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व डिक्री दी जाती है कि

अतः दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण बावत स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि ग्राम माधोपुरा तहसील टोडाभीम की आराजी ख0न0 347/0.49 है0, 348/0.27 है0, 349/0.24 है0, 382/0.50 है0, 383/0.45 है0, 383/622/0.01 है0, कुल किता 6 कुल रकवा 1.96 है0 मे किसी भी प्रकार व्यवधान नही करे। तथा वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी मे किसी भी प्रकार से मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज मुबलिंग.....बावत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद वशरह सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे।
वसूल् मेरे अदालत के आज दिनांक 02.01.2024 को जारी की गई।



(सुनीता मीना)

मुदई	रकवा	पैसे	मुदायला	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर	रकवा	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा	टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी			
स्टाम्प वजह सवूत			महनताना वकील			
महनताना वकील			खर्चा गयाहान			
खर्चा गयाहान			फीस कमीशनर			
फीस कमीशनर			बावत इजराय हुक्मनामा			
बावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक			
मुतफरिक						

